

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर- 492002

क्रमांक 2513 / विविध -अन्य/2017/14-2
प्रति,

रायपुर दिनांक 23/03/2018

1. संचालक
कृषि/ उद्यानिकी/ पशु चिकित्सा सेवाएं/ मछलीपालन, छ.ग. रायपुर
2. प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड/ बीज एवं कृषि विकास निगम/
बीज प्रमाणीकरण संस्था/ दुग्ध महासंघ
3. कुल सचिव
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय/ कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर/ अंजोरा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी/ जैव प्रौद्योगिकी

विषय:-

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

संदर्भ:-

1. छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र क्रमांक/खादी विपणन/ 2017-18/ 2564 दिनांक 03.03.2018 एवं पत्र क्रमांक 223 दिनांक 08.03.2018।
2. विभाग का पत्र क्रमांक- 2251 दिनांक 15.03.2018।

-00-

संदर्भित पत्रों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सामग्री का क्रय के संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से किन-किन सामग्रियों को क्रय करना चाहते ही की जानकारी माननीय मंत्री महोदयजी अवलोकन करना चाहते हैं।

आदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय मंत्री महोदयजी को अवलोकन करायी जा सके।

(के.सी. पैकरा)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग



3/4
A

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर- 492002

क्रमांक 2513 / विविध -अन्य/2017/14-2
प्रति,

रायपुर दिनांक 23/03/2018

1. संचालक
कृषि/ उद्यानिकी/ पशु चिकित्सा सेवाएं/ मछलीपालन, छ.ग. रायपुर
2. प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड/ बीज एवं कृषि विकास निगम/
बीज प्रमाणीकरण संस्था/ दुग्ध महासंघ
3. कुल सचिव
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय/ कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर/ अंजोरा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी/जैव प्रौद्योगिकी

विषय:- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

- संदर्भ:-1. छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र क्रमांक/खादी विपणन/ 2017-18/ 2564 दिनांक 03.03.2018 एवं पत्र क्रमांक 223 दिनांक 08.03.2018।
2. विभाग का पत्र क्रमांक- 2251 दिनांक 15.03.2018।


-00-

संदर्भित पत्रों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सामग्री का क्रय के संबंध में समुचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से किन-किन सामग्रियों को क्रय करना चाहते ही की जानकारी माननीय मंत्री महोदयजी अवलोकन करना चाहते हैं।

आदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि माननीय मंत्री महोदयजी को अवलोकन करायी जा सके।

(के.सी. पेकरा)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग



0
3/4

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर- 492002

क्रमांक 2251 / विविध -अन्य / 2017 / 14-2
प्रति,

रायपुर दिनांक 15/03/2018

1. संचालक
कृषि / उद्यानिकी / पशु चिकित्सा सेवाएं / मछलीपालन, छ.ग. रायपुर
2. प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड / बीज एवं कृषि विकास निगम /
बीज प्रमाणीकरण संस्था / दुग्ध महासंघ
3. कुल सचिव
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय / कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर / अंजोरा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी / जैव प्रौद्योगिकी

विषय:- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र क्रमांक/खादी विपणन/
2017-18 / 2564 दिनांक 03.03.2018 एवं पत्र क्रमांक 223 दिनांक 08.03.2018।

-00-

संदर्भित पत्रों के माध्यम से भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2004) के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सामग्री का क्रय के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

प्राप्त पत्र के अनुसार आपको एवं अधीनस्थ कार्यालयों को संलग्न पत्र अनुसार समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(के.सी. पैकरा)
15/3/18
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्रमांक 2252 / विविध -अन्य / 2017 / 14-2
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक 15/03/2018

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछलीपालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी स्मृति भवन, कंकाली पारा रोड स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रायपुर।

संयुक्त सचिव
15/3/18
छत्तीसगढ़ शासन

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग



आलोक कटियार, भा.व.से.

Alok Katiyar, I.F.S.

409



प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

MANAGING DIRECTOR

Chhattisgarh Khadi & Village Industries Board

रायपुर, दिनांक 03.02.2018

क्रमांक/खादी विपणन/2017-18/2564
प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
कक्ष क्र.एस-4/4, महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

Handwritten signature and date 03/02/18

विषय : छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

महोदय,

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के केन्द्रीय भंडार एवं खादी एम्पोरियम के माध्यम से निम्नानुसार सामग्रियों की पूर्ति की जाती है। प्रस्तुत सूची में दिये गये सामग्री की साईज, रंग, लिंग (Gender), तकनीकी विनिर्देश (Technical Specifications) एवं अन्य विनिर्देशों को आपके विभाग की मांग के अनुसार कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अनुरोध है कि, आपके विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय/जिला स्तरीय कार्यालयों में लगने वाली खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री प्रदाय हेतु क्रय आदेश छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदाय करने हेतु यथोचित आदेश/निर्देश प्रसारित कर अनुग्रहित करने का कष्ट करें।

क्र.	सामग्री का नाम	रिमार्क
1.	एल.ई.डी. बल्ब (5, 9, 12 एवं 18 वॉट)	प्रचलित बाज़ार दरों से कम दरों पर एवं
2.	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट (20 वॉट)	2½ वर्ष की वारंटी के साथ तत्पश्चात
	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट (20, 30, 40, 50 एवं 60 वॉट)	2½ वर्ष बाद बिना क्षतिग्रस्त Fused
	पोली, रेशमी, वूलन एवं सूती खादी - बिना सिला कपड़ा (वर्दी/गणवेश कपड़ा, बस्ता कपड़ा, आदि)	एल.ई.डी. बल्ब/ट्यूबलाईट लाने पर
	चादर एवं तकिया कवर	20% की राशि वापसी की गारंटी
6.	साड़ी - सूती, रेशमी/कोसा	रंग, पनहा, ब्लीच/कोरा आदि विभाग के
7.	नेज़र, वूलन जर्सी, स्वेटर	मांग अनुसार
9.	कम्बल - ऊनी, दो-रुखा	रंग, पनहा, ब्लीच/कोरा, सिंगल बेड,
10.	मोज़ा - सूती एवं ऊनी	डबल बेड आदि विभाग के मांग अनुसार
11.	जूते - कैनवास एवं चमड़ा	
12.	जूते - गमबूट, जंगल बूट, यूनिफार्म शूज़	विभाग के मांग अनुसार
13.	चप्पल/सैन्डल - फुटवियर	
14.	बेल्ट - चमड़ा	
15.	रेनकोट - पोलिस्टर ब्लैन्डेड रेजिन, पोलिस्टर	
16.	हैट/कैप	
17.	मैट्रेस - गद्दा	
18.	अगरबत्ती एवं धूप	
19.	कास्मेटिक एवं टायलेटरीज (टायलेट एवं फ्लोर सफाई आदि में लगने वाली सामग्री झाड़ू, वाईपर एवं डस्टर सहित)	विभाग के मांग अनुसार वृहद रेंज में उपलब्ध

क्रमशः.....2



Chhattisgarh Khadi & Village Industries Board

Government of Chhattisgarh - Department of Rural Industries

"Gandhi Smirti Bhawan", Kankali Para Road, Sports Complex, Raipur Chhattisgarh, India, Phone : +91-771-2233846, 2442929,

Fax : +91-771-2436707, E-mail : hocgkvi@rediffmail.com & alokkatiyardfo@yahoo.com



ISCT/05009
OSDCH

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर

"गांधी स्मृति भवन", कंकाली पारा रोड, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. - 0771 - 2282846, फैक्स नं. - 0771 - 2436707
ई - मेल : mktcgkvib@rediffmail.com

क्र/खादी विपणन/K3/2017-2018/ 223

रायपुर, दिनांक : 08/03/2018

प्रति,

साचिव,
हाथि विभाग / पशु चिकित्सा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (द.ग.)



विषय - छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वस्त्र एवं ग्रामोद्योग उत्पाद क्रय करने बाबत ।
सन्दर्भ - अर्द्ध. शा. पत्र क्र. 1308/1476/09 दिनांक 10.11.2009 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शासकीय विभागों में वस्त्र प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम - 2002 के तहत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है ।

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खादी बोर्ड द्वारा उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के खादी कपड़ों का उत्पादन किया जा रहा है तथा तीन विक्रय भंडारों रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के माध्यम से विक्रय किया जाता है ।

अतः आपसे आग्रह है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वस्तुओं एवं ग्रामोद्योग उत्पाद क्रय करना सुनिश्चित करेंगे ।

- हमें संपर्क करें - 1. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार रायपुर, मोबा. न. 7440408752
2. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार बिलासपुर, मोबा. न. 7440408714
3. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार जगदलपुर, मोबा. न. 7440408750

संलग्न - उपरोक्तानुसार

US (B)
12/2

उपसंचालक (खादी - विपणन)
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
रायपुर



छ.ग. खादी ग्रामोद्योग एवं चर्मशिल्प भण्डार

(छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर)

(छ.ग. शासन ग्रामोद्योग विभाग का उपक्रम)

दुकान नं. 4 व 5, शास्त्री बाजार, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. शासन के स्टोर क्रय नियम के तहत शासकीय वस्त्र एवं ग्रामोद्योग विक्रय (सप्लाई) हेतु अधिकृत)

मो. :

शासकीय सप्लाई हेतु अधिकृत

हमारी विशेषताएं -

- सूती, खादी, पर्दा, गद्दा तकिया, कुशन कव्हर आदि
- ऊनी खादी
- पोलिस्टर खादी
- कम्बल, शाल, गलीचा
- सिल्क एवं कोसा कपड़ा
- सिल्क एवं कोसा साड़ी
- सूती, ऊनी, रेडिमेड वस्त्र स्वेटर
- ग्रामोद्योग की वस्तुयें
- शुद्ध मशालें, मिर्च, हल्दी धनिया आदि
- लकड़ी फर्नीचर
- स्टील फर्नीचर
- धातु की मूर्तियां
- बांस की कलात्मक वस्तुयें झाड़ू फूल एवं सीक
- पत्थर की आकर्षक वस्तुयें
- शुद्ध चंदन, अगरबत्ती चन्दन,
- पाउडर, चन्दन सामग्री
- साबुन पाउडर, याशिग पाउडर
- लकड़ी के खिलौने
- चर्म शिल्प, जूते, चप्पल
- सैंडिल, कोल्हापुरी चप्पल, विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुयें
- अन्य ग्रामोद्योग वस्तुयें

पत्र क्रमांक / खादी / चर्मशिल्प / भण्डार /

रायपुर, दिनांक :

खादी ग्रामोद्योग भण्डार के सामग्री की दर सूची वर्ष 2017-18

क्र.	नाम सामग्री	साइज	दर प्रतिमीटर / नग
1.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	54"	280 / - मीटर
2.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	27"	155 / - मीटर
3.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	36"	185 / - मीटर
4.	ऊनी कम्बल	90X60	1000 / - नग
5.	ऊनी कम्बल	90X60	1150 / - नग
6.	ऊनी कम्बल	90X60	800 / - नग
7.	ऊनी कम्बल	90X60	1270 / - नग
8.	ऊनी कम्बल	54X90	250 / - नग
9.	चादर प्रिन्टेड मय पिलोकवर	44X70	560 / - नग
10.	चादर चेक	44X70	530 / - नग
11.	गद्दा तैयार	3X6, 5किलो रुई	850 / - नग
12.	तकिया तैयार	1X1.5, 1किलो रुई	175 / - नग
13.	साड़ी	-	850 / - नग
14.	ब्लाउज / पेटीकोट कपड़ा	-	155 / - मीटर
15.	परदा कपड़ा	-	150 / - मीटर
16.	परदा कपड़ा प्रिन्टेड	-	215 / - मीटर
17.	ऑफिस बस्ता	-	110 / - नग
18.	दरी फर्श	-	50 / प्रति वर्ग फीट
19.	दरी	10X12	2500 / - नग
20.	दरी	10X10	2300 / - नग
21.	दरी	9X12	2100 / - नग
22.	दरी	3X6	370 / - नग
23.	दरी	4X7	450 / - नग
24.	ऊनी कोट	-	1400 / - नग
25.	ऊनी कपड़ा ब्लेजर	-	465 / - मीटर
26.	खेश चादर	-	425 / - नग
27.	अस्पताल चादर सफेद	5.25 X 7.50	525 / - नग

टीप :- शासकीय वस्त्र प्रदाय में खादी वस्त्र से अन्य वस्तुये तैयार कर प्रदाय की जा सकती है।
जैसे:- रजाई, रेडीमेड वस्त्र, पेन्ट-शर्ट, टी शर्ट, गमछा, झोला, इत्यादि।

सहायक संचालक

छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भण्डार
शास्त्री बाजार - रायपुर (छ.ग.)

शासकीय खरीद हेतु
कोटेशन आवश्यक नहीं

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर- 492002

क्रमांक 2251 / विविध -अन्य/2017/14-2
प्रति,

रायपुर दिनांक 15/03/2018

1. संचालक
कृषि/ उद्यानिकी/ पशु चिकित्सा सेवाएं/ मछलीपालन, छ.ग. रायपुर
2. प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड/ बीज एवं कृषि विकास निगम/
बीज प्रमाणीकरण संस्था/ दुग्ध महासंघ
3. कुल सचिव
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय/ कामधेनु विश्वविद्यालय, रायपुर/ अंजोरा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी/ जैव प्रौद्योगिकी

विषय:- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र क्रमांक/खादी विपणन/
2017-18/ 2564 दिनांक 03.03.2018 एवं पत्र क्रमांक223 दिनांक 08.03.2018।

-00-

संदर्भित पत्रों के माध्यम से भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2004) के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सामग्री का क्रय के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्रों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

प्राप्त पत्र के अनुसार आपको एवं अधीनस्थ कार्यालयों को संलग्न पत्र अनुसार समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(के.सी. पैकरा)
15/3/18
संयुक्त सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
रायपुर दिनांक 15/03/2018

पृ.क्रमांक 2252/ विविध -अन्य/2017/14-2
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछलीपालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी स्मृति भवन, कंकाली पारा रोड स्पोर्ट्स काम्पलेक्स रायपुर।

संयुक्त सचिव
15/3/18
छत्तीसगढ़ शासन

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग



आलोक कटियार, भा.व.से. 409

Alok Katiyar, I.F.S.



प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

MANAGING DIRECTOR

Chhattisgarh Khadi & Village Industries Board

रायपुर, दिनांक 03.02.2018

क्रमांक/खादी विपणन/2017-18/2564
प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
कक्ष क्र.एस-4/4, महानदी भवन, मंत्रालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्रियों की पूर्ति के संबंध में।

महोदय,

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के केन्द्रीय भंडार एवं खादी एम्पोरियम के माध्यम से निम्नानुसार सामग्रियों की पूर्ति की जाती है। प्रस्तुत सूची में दिये गये सामग्री की साईज, रंग, लिंग (Gender), तकनीकी विनिर्देश (Technical Specifications) एवं अन्य विनिर्देशों को आपके विभाग की मांग के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। अनुरोध है कि, आपके विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय/जिला स्तरीय कार्यालयों में लगने वाली खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री प्रदाय हेतु क्रय आदेश छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्रदाय करने हेतु यथोचित आदेश/निर्देश प्रसारित कर अनुग्रहित करने का कष्ट करें।

क्रं.	सामग्री का नाम	रिमार्क
1.	एल.ई.डी. बल्ब (5, 9, 12 एवं 18 वॉट)	प्रचलित बाज़ार दरों से कम दरों पर एवं
2.	एल.ई.डी. ट्यूबलाइट (20 वॉट)	2½ वर्ष की वारंटी के साथ तत्पश्चात
	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट (20, 30, 40, 50 एवं 60 वॉट)	2½ वर्ष बाद बिना क्षतिग्रस्त Fused
	पोली, रेशमी, वूलन एवं सूती खादी - बिना सिला कपड़ा (वर्दी/गणवेश कपड़ा, बस्ता कपड़ा, आदि)	एल.ई.डी. बल्ब/ट्यूबलाइट लाने पर
	चादर एवं तकिया कवर	20% की राशि वापसी की गारंटी
6.	साड़ी - सूती, रेशमी/कोसा	रंग, पनहा, ब्लीच/कोरा आदि विभाग के
7.	बनेजर, वूलन जर्सी, स्वेटर	मांग अनुसार
8.	पर्दा एवं टेबल क्लॉथ - सूती, कोसा	रंग, पनहा, ब्लीच/कोरा, सिंगल बेड,
9.	कम्बल - ऊनी, दो-रुखा	डबल बेड आदि विभाग के मांग अनुसार
10.	मोजा - सूती एवं ऊनी	
11.	जूते - कैनवास एवं चमड़ा	
12.	जूते - गमबूट, जंगल बूट, यूनिफार्म शूज़	विभाग के मांग अनुसार
13.	चप्पल/सैन्डल - फुटवियर	
14.	बेल्ट - चमड़ा	
15.	रेनकोट - पोलिस्टर ब्लैन्डेड रेजिन, पोलिस्टर	
16.	हैट/कैप	
17.	मैट्रेस - गद्दा	
18.	अगरबत्ती एवं धूप	
19.	कास्मेटिक एवं टायलेटरीज़ (टायलेट एवं फ्लोर सफाई आदि में लगने वाली सामग्री झाड़ू, वाईपर एवं डस्टर सहित)	विभाग के मांग अनुसार वृहद रेंज में उपलब्ध

क्रमशः.....2



Chhattisgarh Khadi & Village Industries Board

Government of Chhattisgarh - Department of Rural Industries

"Gandhi Smirti Bhawan", Kankali Para Road, Sports Complex, Raipur Chhattisgarh, India, Phone : +91-771-2233846, 2442929,

Fax : +91-771-2436707, E-mail : hocgkvib@rediffmail.com & alokkatiyardfo@yahoo.com



15/03/2018
05/03/18

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर

"गाँधी स्मृति भवन", कंकाली पारा रोड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

फ़ोन नं. - 0771 - 2282846, फ़ैक्स नं. - 0771 - 2436707

ई - मेल : mktcgkvib@rediffmail.com

क्र/खादी विपणन/K3/2017-2018/ 223

रायपुर, दिनांक : 08/03/2018

प्रति,

साचिव,
हाथि विभाग 7 पशु चिकित्सा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)



विषय - छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से वस्त्र एवं ग्रामोद्योग उत्पाद क्रय करने बाबत ।

सन्दर्भ - अर्द्ध. शा. पत्र क्र. 1308/1476/09 दिनांक 10.11.2009 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शासकीय विभागों में वस्त्र प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम - 2002 के तहत छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है ।

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खादी बोर्ड द्वारा उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता के खादी कपड़ों का उत्पादन किया जा रहा है तथा तीन विक्रय भंडारों रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के माध्यम से विक्रय किया जाता है ।

अतः आपसे आग्रह है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वस्त्रों एवं ग्रामोद्योग उत्पाद क्रय करना सुनिश्चित करेंगे ।

हमें संपर्क करें - 1. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार रायपुर, मोबा. न. 7440408752

2. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार बिलासपुर, मोबा. न. 7440408714

3. छ. ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भंडार जगदलपुर, मोबा. न. 7440408750

संलग्न - उपरोक्तानुसार

US (E)

1/2/18

उपसंचालक (खादी - विपणन)
छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
रायपुर



छ.ग. खादी ग्रामोद्योग एवं चर्मशिल्प भण्डार

(छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर)

(छ.ग. शासन ग्रामोद्योग विभाग का उपक्रम)

दुकान नं. 4 व 5, शास्त्री बाजार, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. शासन के स्टोर क्रय नियम के तहत शासकीय वस्त्र एवं ग्रामोद्योग विक्रय (सप्लाई) हेतु अधिकृत)

मोबा. :

शासकीय सप्लाई हेतु अधिकृत

हमारी विशेषताएं -

- सूती, खादी, पर्दा, गद्दा तकिया, कुशन कव्हर आदि
- ऊनी खादी
- पोलिस्टर खादी
- कम्बल, शाल, गलीचा
- सिल्क एवं कोसा कपड़ा
- सिल्क एवं कोसा साड़ी
- सूती, ऊनी, रेडिमेड वस्त्र स्वेटर
- ग्रामोद्योग की वस्तुयें
- शुद्ध मशालें, भिर्च, हल्दी धनिया आदि
- लकड़ी फर्नीचर
- स्टील फर्नीचर
- धातु की मूर्तियां
- बांस की कलात्मक वस्तुयें झाड़ू फूल एवं सीक
- पत्थर की आकर्षक वस्तुयें
- शुद्ध चंदन, अगरबत्ती चन्दन,
- पाउडर, चन्दन सामग्री
- साबुन पाउडर, वाशिंग पाउडर
- लकड़ी के खिलौने
- चर्म शिल्प, जूते, चप्पल
- सैंडिल, कोल्हापुरी चप्पल, विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुयें
- अन्य ग्रामोद्योग वस्तुयें

पत्र क्रमांक / खादी / चर्मशिल्प / भण्डार /

रायपुर, दिनांक :

खादी ग्रामोद्योग भण्डार के सामग्री की दर सूची वर्ष 2017-18

क्र.	नाम सामग्री	साइज	दर प्रतिमीटर / नग
1.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	54"	280 / - मीटर
2.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	27"	155 / - मीटर
3.	खाकी / सफेद पोली वस्त्र	36"	185 / - मीटर
4.	ऊनी कम्बल	90X60	1000 / - नग
5.	ऊनी कम्बल	90X60	1150 / - नग
6.	ऊनी कम्बल	90X60	800 / - नग
7.	ऊनी कम्बल	90X60	1270 / - नग
8.	ऊनी कम्बल	54X90	250 / - नग
9.	चादर प्रिन्टेड मय पिलोकवर	44X70	560 / - नग
10.	चादर चेक	44X70	530 / - नग
11.	गद्दा तैयार	3X6, 5किलो रुई	850 / - नग
12.	तकिया तैयार	1X1.5, 1किलो रुई	175 / - नग
13.	साड़ी	-	850 / - नग
14.	ब्लाउज / पेटीकोट कपड़ा	-	155 / - मीटर
15.	परदा कपड़ा	-	150 / - मीटर
16.	परदा कपड़ा प्रिन्टेड	-	215 / - मीटर
17.	ऑफिस बस्ता	-	110 / - नग
18.	दरी फर्श	-	50 / प्रति वर्ग फीट
19.	दरी	10X12	2500 / - नग
20.	दरी	10X10	2300 / - नग
21.	दरी	9X12	2100 / - नग
22.	दरी	3X6	370 / - नग
23.	दरी	4X7	450 / - नग
24.	ऊनी कोट	-	1400 / - नग
25.	ऊनी कपड़ा ब्लेजर	-	465 / - मीटर
26.	खेश चादर	-	425 / - नग
27.	अस्पताल चादर सफेद	5.25 X 7.50	525 / - नग

टीप :- शासकीय वस्त्र प्रदाय में खादी वस्त्र से अन्य वस्तुयें तैयार कर प्रदाय की जा सकती है।
जैसे:- रजाई, रेडीमेड वस्त्र, पेन्ट-शर्ट, टी शर्ट, गमछा, झोला, इत्यादि।

सहायक संचालक

छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भण्डार
शास्त्री बाजार - रायपुर (छ.ग.)

शासकीय खरीद हेतु
कोटेशन आवश्यक नहीं